जयपुर
विद्युत वितरण
निगम लिमिटेड

क्रमांक: जेपीडी / मुअ / पवस / अअ / सवजां / अनु / प-1201 / प्र. 405

दि0 12.6.2002

आदेश

(18अ)

विषय: कृषि कनेक्शनों को निगम के किसी भी विद्युतिकृत गांव में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में ।

पूर्व विद्युत मण्डल द्वारा जारी कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के पैरा 18 में कृषि कनेक्शन को उसी गांव अथवा साथ के गांव में स्थानान्तरित करने बाबत प्रावधान है । इस संबंध में समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3.6.2002 में राज्य के कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:—

1 यदि कनेक्शन हो जाने पर परिस्थितियों के दबाव के कारण कनेक्शन वहीं रखना उपभोक्ता के वश में नहीं हो तो कनेक्शन निगम के किसी भी विद्युतिकृत गांव में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकता है । यह सुविधा वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) को ही देय होगी एवं कुआं खुदवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि के लीज पर आवंटन होने पर भी कनेकशन को शिफ्ट किया जा सकेगा ।

2 कुआं सूख जाने की स्थिति में एक स्थान से कनेक्शन दूसरे स्थान पर वर्तमान उपभोक्ता के पिता, पति, पत्नि, माता, भाई, बहन, बेटे, बेटी के नाम से जमीन में उसी टैरिफ श्रेणी में मीटर्ड प्रणाली से शिफ्ट किया जा सकता है जिसके लिये वर्तमान उपभोक्ता / उपभोक्ताओं की सहमति आवश्यक है ।

3 अभी यह प्रावधान किया हुआ है कि कृषि कनेक्शन मात्र कृषि भूमि पर ही देय है परन्तु ग्रामीण क्षत्रों में जिन कृषकों के खेत में कुआं सूख जाने अथवा पानी खराब होने के कारण कुआं अपने जमीन के पास स्थित आबादी भूमि (बाड़ा इत्यादि) में खुदवाकर कनेक्शन शिफ्ट करवाना चाहते है, उन्हें कृषि कनेक्शन इस भूमि में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में शिफ्ट किया जा सकता है ।

4 उपरोक्त सभी कनेकशनों को शिफ्ट करने की आज्ञा प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुआं सूखा है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच, हल्का पटवारी एवं सहायक अभियन्ता द्वारा जारी किया हुआ हो । साथ ही सहायक अभियन्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगे कि पूर्व कुऐं के लिये खींची गई अनुपयोगी एच.टी. / एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि हटा (DISMANTLE) कर स्टोर में जमा

कर दिये गये है । इस प्रक्रिया के पश्चात ही सबंधित अधिशाषी अभि इसकी स्वीकृति प्रदान करेगें।

5 यदि कनेक्शन एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड में स्थानान्तरित किया जाना तो उस दशा में कनेक्शन स्थानान्तरित करने की फाइल की पत्रावली उपखण्ड में जमा करवानी होगी जहा पर कनेक्शन को स्थानान्तरित किया ज है । इस दशा में नवीन कुऐं का तकमीना बनाकर पूर्व उपखण्ड में कार्यवाही लिये फाइल को भेजा जायेगा तथा पूर्व उपखण्ड में उपभोक्ता को सम् बकाया राशि जमा करवाकर एच.टी./एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि एवं उपभोक्ता का नाम रिकार्ड से हटाकर पुरानी पत्रावली सहित नये उपखण में भेज दिया जायेगा । नये स्थान पर तकमीना नये कनेक्शन की तरह एल.ट रहित प्रणाली से बनाया जायेगा। कनेक्शन का नये स्थान पर लोड नहीं घटाय जायेगा । कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने के खर्चे उपभोक्ता से पूर्व में जारी आदेशानुसार ही लिये जायेगें । इसके पश्चात ही अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृति लेकर, नया उपभोक्ता नम्बर देकर, कनेक्शन मीटर प्रणाली में चालू कर दिया जाये ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें ।

(हस्ताक्षर)
(एस. के. बिश्नोई)
मुख्य अभियन्ता (पवस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 उर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर को उनके द्वारा उक्त तरह के आदेश प्रसारित करने हेतु सूचनार्थ ।
3 मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर।
4 निदेशक (आ.अं.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर ।
5 अधीक्षण अभियन्ता (पवस/प्लान), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., ________
6 मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर ।
7 प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता/उप-मुख्य अभियन्ता (पवस), जयपुर विद्यु वितरण निगम लि., जयपुर ।
8 अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., ____________ को आदेश की पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित सहायक अभियन्ताओं के लिये।
9 निजी सचिव, मा. उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को मा.उर्जा मंत्री के सूचनार्थ ।
10 निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को मा.अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ ।
11 कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर ।

(हस्ताक्षर)
मुख्य अभियन्ता (पवस)